प्रतिलिपि आदेश दिनांक 4-8-14 पारित द्वारा श्री अशोक शिवहरे सदस्य राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर पु0क्र0 निग0 42-तीन/14 विरूद्ध आदेश दिनांक 23-7-14 पारित द्वारा नायब तहसीलदार तहसील चंदला जिला छतरपुर पु0क्र0 15/अ-6/13-14।

श्रीमती चन्दन सिंह पत्नी श्री लाखनसिंह
ठाकुर निवासी ग्राम बंचमपुर तहसील
चंदला जिला छतरपुर म0प्र0 --- आवेदक

विरूद्ध

1- रामगोपाल पुत्र श्री रमेश चन्द्र शर्मा
2- कमलेश पुत्र श्री देवीदीन उपाध्याय
निवासीगण सिचाई कालोनी के पास राजनगर तहसील
राजनगर जिला छतरपुर म0प्र0
3- जमुना पुत्र श्री मन्जू पुजापति
निवासी होकमपुरा तहसील राजनगर
जिला छतरपुर --- अनावेदकगण

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग – अ

प्रकरण कमांक निगरानी 42–तीन/2014 जिला छतरपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
4–8–2014	आवेदक अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया। उनके द्वारा यह निगरानी नायब तहसीलदार छतरपुर के प्रकरण कमांक 15/अ–6/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 23–7–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। 3/ आवेदक अभिभाषक के ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में नायब तहसीलदार के अंतरिम आदेश का अवलोकन किया गया। आवेदक अभिभाषक द्वारा अपने तर्क में बताया कि उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में आपत्ति प्रस्तुत की गई थी कि प्रकरण में व्यवहार वाद दायर है और व्यवहार वाद में मामला संचालित होने के दौरान राजस्व न्यायालय में कार्यवाही नहीं की जा सकती है। नायब तहसीलदार द्वारा आवेदक की आपत्ति इस आधार पर निरस्त की गई है कि व्यवहार न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश जारी नहीं किया गया है। तहसील न्यायालय में की जा रही कार्यवाही को रोकने के लिए निगरानीकर्ता को चाहिए कि वह व्यवहार न्यायालय से स्थगन प्राप्त कर नायब तहसीलदार के यहां प्रस्तुत करे। नायब तहसीलदार द्वारा व्यवहार न्यायालय के स्थगन के अभाव में कार्यवाही को संचालित रखने में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में नायब तहसीलदार द्वारा की जा रही कार्यवाही को इस स्तर पर रोका जाना उचित	

प्रतीत नहीं होता है। इसके अतिरिक्त निगरानीकर्ता को नायब तहसीलदार के अंतिम आदेश के विरूद्ध भी अपील में उपचार उपलब्ध है। दर्शित परिस्थितियों में निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी ग्राह्यता के स्तर पर ही निरस्त की जाती है। पक्षकार सूचित हों। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

(अशोक शिवहरे)
सदस्य